11/21

आदि अभियुक्त/पेशकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1,3 ने इकबालिया जवाब पेश किया। बहस सुनी। रिपोर्ट पटवारी मय अभिशंषा पेशकार सरकार पेश हो आई है। प्रार्थी का संक्षेप में कथन है कि ख.नं. $\frac{243}{0.41}$, $\frac{276}{0.53}$, $\frac{507}{0.01}$, $\frac{508}{3.08}$ किता चार रकबा 4.03 है० वाके ग्राम कोटड़ा प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 1 लगा 3 की पैतृक शामलाती थी जो कि प्रार्थी के पिता सालगा के खातेदारी की थी। जिसकी मृत्यु होने पर विरासत का नामा० सं. 292 दि० 3.2.1983 सही रूप से भरा था जिसमें प्रार्थी का नाम गोकल पुत्र सालगा दर्ज किया गया था। भू प्रबन्ध द्वारा जमाबन्दी जारी की गई उसमें गोकल पुत्र सालगा के स्थान पर गोपाल पुत्र सालगा दर्ज कर दिया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी गोपाल पुत्र सालगा गलत रूप से दर्ज कर रखा है। जिसे दुरुस्त किया जाकर गोकुल पुत्र सालगा दर्ज करवाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विरासत के समय गोपाल पुत्र सालगा दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, नामा० सं. 829, जमाबंदी सम्वत् 2037 से 2041 में भी गोकल पुत्र सालगा ही दर्ज होना जाहिर है। रिपोर्ट पटवारी में स्पष्ट अंकित किया है कि सालगा की विरासत का नामा० गोकल पुत्र सालगा ही भरा गया था लेकिन दौराने सेटलमेन्ट गोकल पुत्र सालगा के स्थान पर गोपाल पुत्र सालगा दर्ज कर दिया। गोपाल पुत्र सालगा के स्थान पर गोकल पुत्र सालगा दुरुस्त किया जाना उचित है यही अभिशंषा पेशकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में की है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी, अभिशंषा पेशकार सरकार नायब तहसीलदार गोपाल पुत्र सालगा के स्थान पर गोकल पुत्र सालगा किया जाना उचित

ोल म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, अभिशंषा पेशकार सरकार तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार स्वीकार किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 353 जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 वाके ग्राम बोटून्दा ख.नं. $\frac{243}{0.41}$, $\frac{276}{0.53}$, $\frac{508/1}{1.24}$, $\frac{508/3}{0.80}$ किता 4 रकबा 2.98 है० में गोपाल पुत्र सालगा के स्थान पर गोकल पुत्र सालगा दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष सभी अंकन बदस्तूर रहेंगे। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। Ruby उपखण्ड अधिकारी टो... (टोंक)	